कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 451 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 20 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में घुघती कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 -FP/UK/ROAD/ 21752/2015)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/60/2017/एफ.सी./1184 दिनांक 06.10.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 12/12–1(2) दिनांक 03.07.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 है0 ग्राम उगलियासीम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा 2.88 है0 सिविल भूमि ग्राम उगलियासीम सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षरोपण की 10 वर्षो की रख रखाव हेतु रू0 5,28,958.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। उक्त ग्राम उगलिया सीम की 2.88 है0, तहसील भिकियासैण की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर म्यूटेशन खतौनी संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,85,908.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत् रू0 3,63,531.00 की अतिरिक्त धनराशि जमा की जा चुकी है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (ढ।डच।) के	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत. सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा

R-System-P.T.O

	तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर रू0 12,14,866.00 जमा कर दी गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central टमतहम पर वन विभाग की रेख–रेख में strip plantation किया जायेगा। बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6-	State Govt. will submit revised hard copy of the NPV calculation sheet ann also upload the same online recheck as different density is mentioned in NPV calculation given in hard copy as compared to NPB calculation sheet online.	लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की कैल्कुलेशन सीट ऑन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की गयी है।
7-	State Govt. will submit original hard copies of the geo referenced digital maps of the forest land proposal diversion and the land proposed for CA duly authenticated by DFO and upload the same in online Part I & Part II at designated places.	लोक निर्माण विभाग द्वारा जीयोरिफरैन्स मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षरोपण मानचित्र पार्ट–। व पार्ट–।। सही स्थान में ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
6-	State Govt. will provide hard copy of the FRA certificate hard copy of CA scheme uploaded online.	लोक निर्माण विभाग द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। सत्यापित छायाप्रति की हार्ड कापी प्रेषित की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c

R-System-P.T.O

21752

170

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 12 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 03/07/ 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा में घुघती कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण निर्माण को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 60 / 2017 / एफ0सी0 / 1184 दिनांक 06.10.2017।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 6222/12-1 (2) दिनांक 27.06.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 159
पंजी0 सं0 ....
पत्रावली 12-1
दिनांक 5.7.24

भवदीय

(डॉ0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

29 JUN 2024

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6222 /12-1(2)अल्मोड़ा दिनांक 27-6-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में घुघती कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/60/2017/एफ.सी./1184 दिनांक 06.10.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार आख्या निम्नवत इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 है0 ग्राम उगलियासीम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा 2.88 है0 सिविल भूमि ग्राम उगलियासीम सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षरोपण की 10 वर्षो की रख रखाव हेतु ₹ 528958.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। उक्त ग्राम उगलिया सीम की 2.88 है0, तहसील भिकियासैण की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर म्यूटेशन खतौनी संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 685908.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन0पी0वी0 की वर्तमान मूल्य दरों में उच्च स्तर से अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार एन0पी0वी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी। बचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर ₹ 1214866.00 जमा कर दी गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर वन विभाग की रेख–रेख में strip plantation किया जायेगा। बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	State Govt. will submit revised hard copy of the NPV calculation sheet ann also upload the same online recheck as different density is mentioned in	लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की कैल्कुलेशन सीट ऑन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की गयी है।

	NPV calculation given in hard copy as compared to NPB calculation sheet online.	
7.	State Govt. will submit original hard copies of the geo referenced digital maps of the forest land proposal diversion and the land proposed for CA duly authenticated by DFO and upload the same in online Part I & Part II at designated places.	लोक निर्माण विभाग द्वारा जीयोरिफरैन्स मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षरोपण मानचित्र पार्ट–। व पार्ट–।। सही स्थान में ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
6.	State Govt. will provide hard copy of the FRA certificate hard copy of CA scheme uploaded online.	लोक निर्माण विभाग द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। सत्यापित छायाप्रति की हार्ड कापी प्रेषित की गयी है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

पत्रांक 6222 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679
E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1144 / 36सी   दिनांक रानीखेत 05/06 ,2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/60/2017/एफ.सी./1184 दि. 06.10.17।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा घुघति कैलानी मसमौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तो के साथ प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का निम्नानुसार अनुपालन कर लिया गया है :–

क्र.सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 है0 ग्राम उगलियासीम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वष्रे तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 हे0 ग्राम उगलिया सीम की सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12–1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा वांछित धनराशि रू 528958.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 400/ग्यारह–04/2018–19 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न 1 व 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12–1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि ` 685908.00 का भुगतान किया जा चुका है। (संलग्नक–3)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या– 3 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शर्त संख्या– 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों हेतु वॉछित धनराशि ` 1214866.00 का भुगतान वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान जनरेट किया जा चुका है। (संलग्नक–5)

क्रमशः पेज–2 पर

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
6.	State Govt. will submit revised hard copy of the NPV calculation sheet ann also upload the same online recheck as different density is mentioned in NPV calculation given in hard copy as compared to NPB calculation sheet online.	एन.पी.वी. प्रमाण पत्र (Calculation Sheet) संलग्न है। (संलग्नक–7)
7.	State Govt. will submit original hard copies of the geo referenced digital maps of the forest land proposal diversion and the land proposed for CA duly authenticated by DFO and upload the same in online Part I & Part II at designated places.	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के Revised Geo Referenced map जिसमें Polygon के प्रत्येक Corner Point के Geo Coordinates दिखाये गये है को Online Part-I में Upload कर दिया गया है।
8.	State Govt. will provide hard copy of the FRA certificate hard copy of CA scheme uploaded online.	FRA Original Ceritificate संलग्न है। (संलग्नक–8)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679 E-mail – eepdranikh@yahoo.com

पत्रांक 4160 / 3 6 ई.ई. दिनांक रानीखेत फरवरी 12, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/60/2017/एफ.सी./1184 दि. 06.10.17।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा घुघति कैलानी मसमौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तो के साथ प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का निम्नानुसार अनुपालन कर लिया गया है :–

1. प्रत्यावर्तित भूमि के वदले 2.088 है0 ग्राम उगलिया सीम की सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12–1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा वांछित धनराशि ₹ 528958.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 400/ग्यारह–04/2018–19 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न 1 व 2)
2. भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12–1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि ₹ 685908.00 का भुगतान किया जा चुका है। (संलग्नक–3)
3. शर्त संख्या– 3 के अनुपलन में शुद्व वर्तमान मूल्य दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
4. शर्त संख्या– 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों हेतु वॉछित धनराशि ₹ 1214866.00 का भुगतान वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चलान जनरेट कर किया जा चुका है। (संलग्नक–5)
5. शर्त संख्या–5 के अनुपलन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
6. एन.पी.वी. प्रमाण पत्र (Calculation Sheet) संलग्न है। (संलग्नक–7)
7. शर्त संख्या–6 क अनुपालन में CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के Revised Geo Referenced map जिसमें Polygon के प्रत्येक Corner Point के Geo Coordinates दिखाये गये है को Online Part-I में Upload कर दिया गया है।
8. FRA Original Certificate संलग्न है। (संलग्नक–8)

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार (3 प्रतियों में)**

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार (3 प्रतियों में)**

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

36 C LETTER-/ARVIND1242

124

Scanned with OKEN Scanner

डायरी सं० 591
फाईल नं० 3410
दिनांक 13/11/18

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड स्याल्दे के अर्न्तगत घुघती केलानी–गरामोली मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.044 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की **कुल–2.088 हैक्टयर** सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग 2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे उपजिलाधिकारी भिकियासैण / स्याल्दे के पत्रांक 01 / विविध / 2018–19 दिनांक 01 अक्टुबर, 2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 2679 / 36 री. दिनांकः 06.10.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 16. 08.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा उप जिलाधिकारी भिकियासैण / स्याल्दे की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू0 फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 60 / 2017 एफ0सी0 / 1184, दिनांकः 06.10.2017 के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम उगलियासीम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–देघाट तहसील–स्याल्दे, के मै0जा0 वि0 ख0 खा0 संख्या–15 की श्रैणी–9(3) ड़ "बंजर काबलि आवाद" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर–491 रकबा 2. 088 हैक्टयर, की कुल 2.088 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार स्याल्दे उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या– 400 / ग्यारह– 04 / 2018–19, दिनांकः 31 अक्टुबर, 2018

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम-वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, भिकियासैण / स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा।
4– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
5– तहसीलदार, स्याल्दे को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,

Scanned with OKEN Scanner

...खतौनी नकल ग्राम - उलिनखोली रा० उ०नि० क्षेत्र - देघाट - तहसील - स्याल्दे - जिला - अल्मोड़ा।

...9(3) का कृषि योग्य बंजर भूमि :—

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बंजर काबिल आबाद		१	१६४॥=	ठाकुरखोला
		११	१०१=	-दो-
		१७	२१	-दो-
		२६	४५॥	-दो-
		२७	१४६॥=	ग्वालबारी
		४२	३४=	उलिनखोरा
		७४	४॥	नौरी गुडधार
		७६	३५॥	-दो-
		क्रमशः ↕	↕ क्रमशः	↕ क्रमशः
		८७	३५=	उलिनखोरा
		११४	॥=	-दो-
		१५३	५॥-	-दो-
		१९८	२।	जयनारी
		क्रमशः ↕	↕ क्रमशः	↕ क्रमशः
		४५१	१५३॥=	मटखारी राव
		४५२	८॥	-दो-
		४५७	२=	-दो-
		५०६	॥।	-दो-
		क्रमशः ↕	↕ क्रमशः	↕ क्रमशः
		१३३५	११॥-	ढाकना टेग
		१३४४	१॥-	-दो-
		१३५३	॥=	-दो-
		क्रमशः ↕	↕ क्रमशः	↕ क्रमशः
		१४५५	॥-	तुर्गारखेला
		१५१०	५॥।	-दो-
		१५२१	६=	-दो-
		१५३७	३५।=	-दो-
	२	१५४४	६०॥	-दो-
	योग	१०२	१४६८॥।	—

(7)

ठाकुरखोला श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 15-11-80 भार ग्राम संख्या 169 वर्ष 1980-1981 मिसल ग्राम सं० 489-79-80 के कुमार सिंह वेद सिंह के नाम खेत नम्बर 91 मे आज्ञा नालिश में राजस्व 0=10 (दस पैसा) नामांकन दर्ज किया। ह० अस्पष्ट पटवारी देघाट

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा सं० 5549/न्यायालय - 52/2015-16 दिनांक 06 जून 2016 के क्रम में खेत सं० की 3.293 है० खेत नं० 26 की 2.934 है० खेत नं० 21 की 3.293 है० खेत नं० 74 की 0.408 की 0.683 है० खेत नं० 76 मध्ये 0.893 कुल 9.176 है० सिविल भूमि को वन विभाग के प्रबन्धकीय नियंत्रण में हस्तान्तरित की जाती है। ह० अ० पटवारी देघाट 15/06/2016

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 4.02/न्यायालय - 04/2018-19 दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के क्रम में श्री ... जी० खाता सं० 15 श्रेणी 9(3) बंजर काबिल आबाद के दोगास्मी खेत नम्बर - 1491 मध्ये 2.088 हेक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अल्मोड़ा के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की जाती है। —

रा० उ०नि० देघाट
21/11/2018

नोट, जो उक्त खतौनी नकल असल खतौनी से नकल कर राजकीय कार्य हेतु निःशुल्क जारी की गयी।
04/1/18
देघाट
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

का नाम– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत घुघुती–कैलानी–मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण

Survey Of India Map (Compensatory Afforestation)

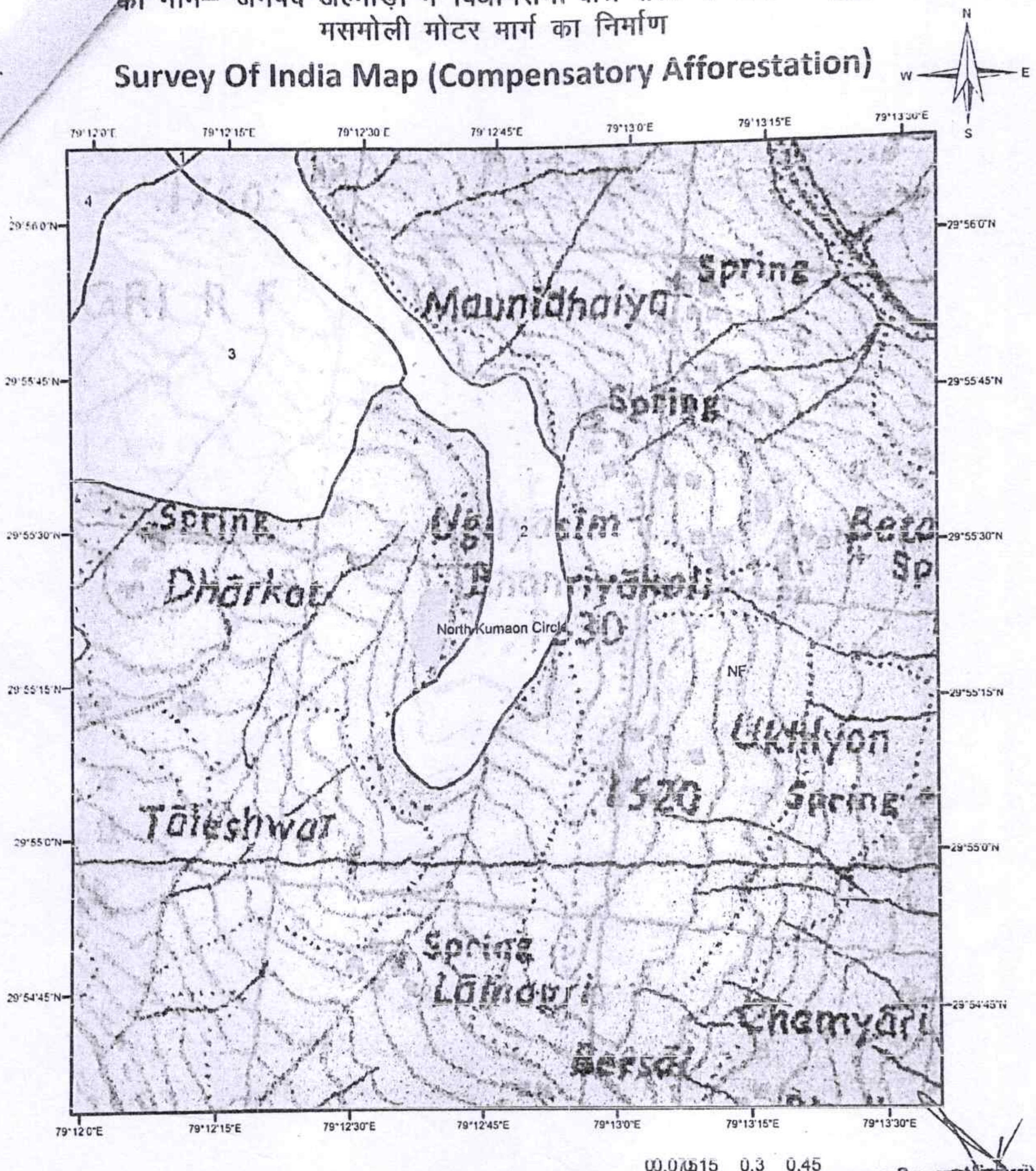

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Legend :-

CA Area Ugliyasim 1.088 HE

A.A.E.

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

… का नाम– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंर्तगत घुघुती–कैलानी–मरसमोली मोटर मार्ग का निर्माण

Geo reference map (Compensatory Afforestation)

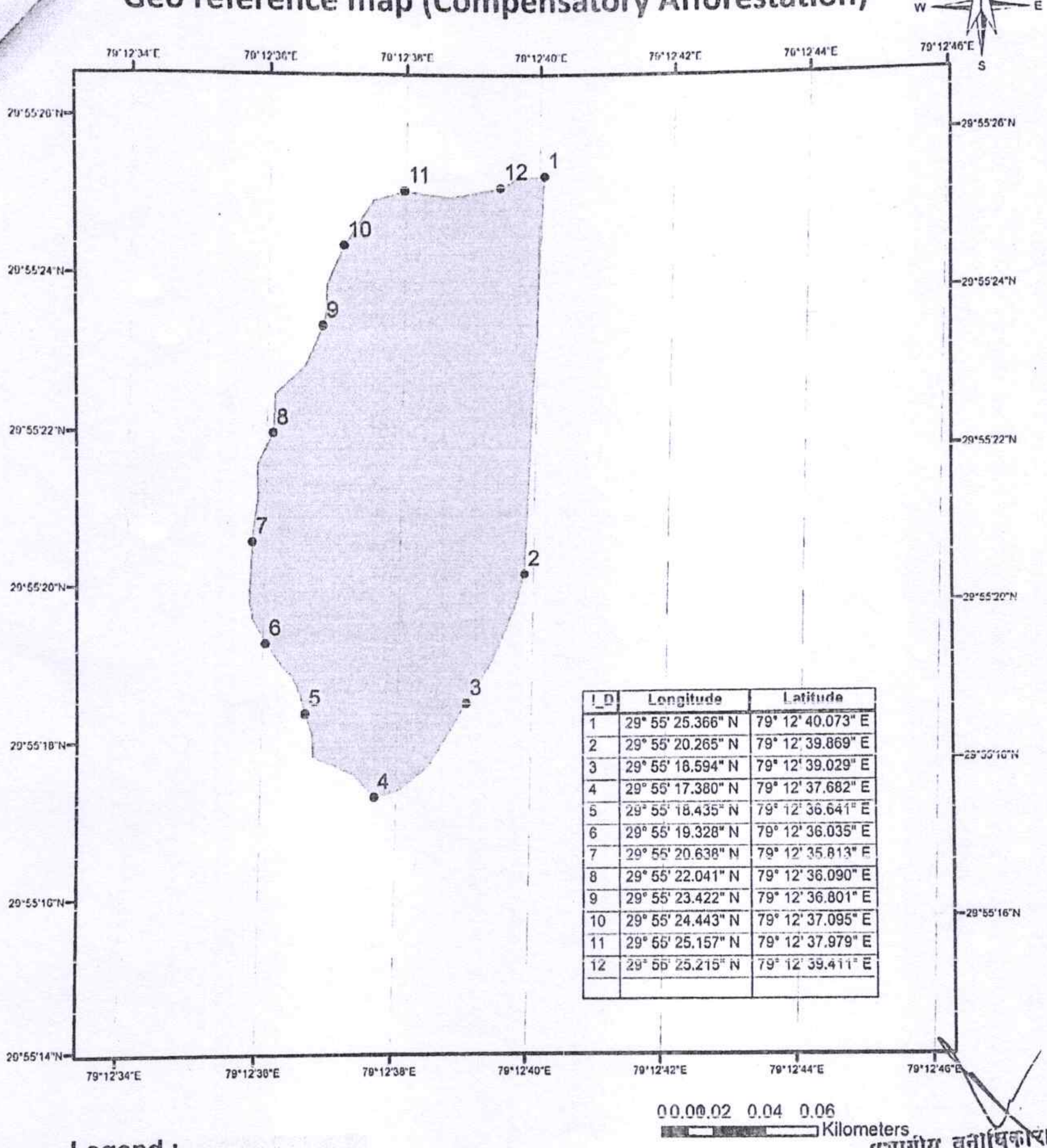

I_D	Longitude	Latitude
1	29° 55' 25.366" N	79° 12' 40.073" E
2	29° 55' 20.265" N	79° 12' 39.869" E
3	29° 55' 16.594" N	79° 12' 39.029" E
4	29° 55' 17.380" N	79° 12' 37.682" E
5	29° 55' 18.435" N	79° 12' 36.641" E
6	29° 55' 19.328" N	79° 12' 36.035" E
7	29° 55' 20.638" N	79° 12' 35.813" E
8	29° 55' 22.041" N	79° 12' 36.090" E
9	29° 55' 23.422" N	79° 12' 36.801" E
10	29° 55' 24.443" N	79° 12' 37.095" E
11	29° 55' 25.157" N	79° 12' 37.979" E
12	29° 55' 25.215" N	79° 12' 39.411" E

Legend :-

- ● GPS
- CA Area Ugliyasim 1.088 HE

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

A.AC

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
चौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 01

कब्जा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घुग्ती कैलानी मसमौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में ग्राम उगलियसीम, तहसील स्याल्दे की 2.088हेक्टेयर सिविल भूमि का दिनांक 16.08.2018 को संयुक्त निरीक्षण कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

वन दरोगा
लाभाढौन / कनौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – 02

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2713 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 29-12- 2017

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

53
36 डी.
3/01/018

विषय – जनपद अल्मोड़ा में घुघुति– कैलानी– गसमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ – आपकी पत्र सं0 3096 / 36सी0 / दिनांक 22.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि पुनः संशोधित कर भेजी जा रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.044	6,57,000.00 प्रति है0	6,85,908.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.088	2,53,332.00 प्रति है0	5,28,958.00
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	—	—	—
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	—	—	—
5	100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना			

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

R.N. 53/36 डी/03/01/018
AE(I) वन भूमि स्थानान्तरण

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
29/12/17

AE
3/1/18

छायाप्रति सत्यापित

d:\kavita nayal\land transfer\land transfer latter.doc

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 03

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 04

	ROAD/10075/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10075/2015) Construction of Rapar Seesapani Majera Motor Road	ROAD10075201526	6110075268	11 Sep 2017	CA: 1646591/- , Addl CA : 0/ PCA: 0/ , CAT : 0/ Safety Zone: 0/ , Addl PA : 0/ NPV: 2732800/ , Other Charges : 0/ Other Charges1 : 0/ Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4379391/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :22 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :22 Mar 2018 Transaction Date :28 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31122131413120002Dem Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
8	FP/UK/ROAD/20119/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/20119/2016) Const of Pastorawar motor road from Km 10 of S D D S M motor road	ROAD20119201619	6120119198	19 Jul 2017	CA: 1117194/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/ , Addl PA : 0/- NPV: 1448685/- , Other Charges : 0/ Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/ Other Charges3 : 0/- Total : 2565879/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Feb 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :26 Feb 2018 Transaction Date :08 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112412151 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
9	FP/UK/ROAD/21752/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/21752/2016) Const of Ghugti Kelani to Masmoli motor road	ROAD21752201681	6121752818	06 Oct 2017	CA: 528958/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/ NPV: 685908/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1214866/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Jan 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :15 Jan 2018 Transaction Date :28 Feb 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11141251214OA7Q8Ghught Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
10	FP/UK/ROAD/18738/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18738/2016) Const. of Chaubatia Nagpani Deholi motor road	ROAD18738201667	1131873820166713	Jul 2017	CA: 1892390/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3156075/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5048465/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Sep 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :26 Sep 2017 Transaction Date :09 Oct 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911221234121BM8F0Chau Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
11	FP/UK/ROAD/10541/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10541/2015) Const. of Peepna Kola Rankuna Gohali motor road	ROAD10541201577	9113105412015779	09 Dec 2016	CA: 2120389/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2749545/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4869934/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date :15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8111612521 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
12	FP/UK/ROAD/10859/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10859/2015) Const of Taran Dabhara Shashikhal motor road.	ROAD10859201549	0113108592015490	30 Dec 2016	CA: 2485187/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3222585/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5707772/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date :15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81116124712127A1T4Taran Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a
13	FP/UK/ROAD/11258/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11258/2015) Dhegtal - Nagchula To Chanterkhal - Kalyalingudh Thapa Bend Motor Road.	ROAD11258201566	7113112582015665	17 Nov 2016	CA: 752396/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1254834/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/ Other Charges3 : 0/ Total : 2007226/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :01 Sep 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :01 Sep 2017 Transaction Date :15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8111712371 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.a

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र संलग्नक - 05

परियोजना का नाम :- **जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन**

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनो किनारों तथा Central verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	*सहायक अभियन्ता,*	*अधिशासी अभियन्ता,*
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*
रानीखेत	*रानीखेत*	*रानीखेत*

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Ran Bhoom Tonikanola Aamshyam motor road doc-10

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -06

परियोजना का नाम :- चुपति - कैलानी से मसयोली मोटर मार्ग 1.044

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1- ईको-क्लास श्रेणी.......V.......

2- हरियाली का घनत्व ....3.......

3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 ....6,57,000/-.......

4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 ....1.044.......

5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 ....685908/- (रु छः लाख, पिचासी हजार, नौ सौ आठ मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत उगालयासाम सिंवेल में 2.088 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्लन

केलानी से मसमोली मोटर मार्ग लम्बाई कि0मी0 संलग्नक -07

	कार्य का नाम	संख्या	दर	धनराशि
	प्रथम चरण			
	सर्वे सीमांकन है0 में			
1	क्षेत्र की सुफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.088	97	202.536
2	अग्रिम दिवाल बन्दी (फसिंग ट्री गार्ड) 340 र0मी0 ×0.45×1.00	2.088	584	1219.392
3	1 कि0मी0 तक पत्थर ढुलान सहित	153	339	51867
	मृदा एवं जल संरक्षण संग्रहण हेतु कच्चे चाल खाल निमार्ण कार्य	-	-	-
4	4.1 अवरोधक निमार्ण वनस्पतिक चैक डेम	15	4000	60000
	4.2 वाटर हार्वेस्टिंग टैक	15	4000	60000
	4.3 स्टोन चैकडेम बनाना	10	20000	200000
	गड्ढे खुदान 0.30×0.30××0.45	2297	7.33	16837.01
5	कन्टुर फर्रे खुदान 0.30×0.30××0.45	-	-	-
6	निरीक्षण बटिया बनाना	2.088	485	1012.68
7	अन्य कार्य	2.088	500	1044
8	अन्य व्यय जैसे संयत्र औजार तेज कराना अन्य कार्यो पर व्यय	2.088	500	1044
9	योग प्रथम चरण	-	-	393226.618
	द्वितीय चरण			
	गड्ढे भरान कार्य 0.30×0.30××0.45	2297	1.5	3445.5
1	पौधों की कीमत	2297	8	18376
	पौधो का ढुलान 100×8km × 169 प्रति हजार	2297	6.39	14677.83
2	पौधा रोपण एवं थावला बनाना	2297	2.06	4731.82
3	कन्टूर फर्रे में बीज बुआई	-	-	-
	निराई गुडाई मचिंग (दो बार) 2×100×0.76	2297	0.76	1745.72
4	खाद एवं दवा पर व्यय	2.088	420	876.96
5	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख--रेख व रखरखाव पर व्यय 8 माह	2.088	4768	9955.584
6	8.1 वृक्षारोपण अन्तर्गत घास फूस ज्वलनशील पदार्थ हटाना	2.088	350	730.8
7	8.2 सुर्रक्षा दिवाल व घेरबाड़ के बाहर 10 मी0 पट्टी साफ करना	2.088	225	469.8
8	साईन बोर्ड पौध ढुलान आदि कय फोटोग्राफी प्रचार प्रसार	2.088	400	835.2
9	योग द्वितीय चरण	-	-	55845.214
	तृतीय चरण			
	वृक्षारोपण से लाभान्वित हाने वाले ग्रमीणों को अग्रिम सुरक्षा हेतु	2.088	400	835.2
1	प्रोत्साहन			
	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	2.088	7152	14933.376
2	12 माह तक			
	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत			
3	2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना/हटाना	2.088	350	730.8
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	2.088	225	469.8
	2.3 अग्नि सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण/प्रोत्साहन	2.088	310	647.28
	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	-	-	-
4	बिटिंग अप कार्य	-	-	-
5	अन्य कार्य	2.088	200	417.6
6	योग तृतीय चरण	-	-	18034.056

Scanned with OKEN Scanner

	... चरण			
	...ण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	2.088	7152	14933.376
	12 माह तक			
	अन्य कार्य भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	-	-	-
2	अग्नि सुरक्षा कार्य अनुरक्षण दीवाल मरम्मत आदि	-	-	-
3	अग्नि सुरक्षा कार्य क्षतिपूरक रोपण 500 पौध प्रति है0			
4	अन्य कार्य	2.088	200	417.6
5	योग चतुर्थ चरण	-	-	15350.976
	पंचम से दशम चरण–6 वर्षो हेतु व्यय का विवरण			
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12.528	7152	89600.256
1	6 वर्ष तक 2.97×6			
	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत			
2	2.1 सूखे घास, फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना/हटाना	12.528	350	4384.8
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	12.528	250	3132
4	अन्य कार्य	12.528	200	2505.6
5	योग पंचम से दशम वर्ष	-	-	99622.656
	कुल योग	-	-	582079.52

उ०प्र० रानीखेत

... वन क्षेत्राधिकारी
भीराति वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न - 8

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में घुघली - केलाखी - मसौटा मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — घुघली
तहसील— स्याल्दे, जिला— अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—×— है0 आरक्षित वन भूमि, × है0 सिविल सोयम भूमि ... है0 वन पंचायत भूमि ... है0) अर्थात कुल ... है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घुघली द्वारा दिनांक ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घुघली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत घुघली
घुघली वि0खं0/स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि0 खं0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/
ग्राम प्रधान

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-3-[illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...चौखुटी...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	कुमानसिंह	किशनसिंह	कुमानसिंह
2	धनीराम	मूसाराम	धनीराम
3	शम्भु प्रसाद	[illegible]राम	शम्भुप्रसाद
4	जगत राम	[illegible]राम	जगतराम
5	बचीराम	मुंशीराम	Bachi Ram
6	गोविन्दसिंह	[illegible]सिंह	गोविन्दसिंह
7	लालसिंह	[illegible]सिंह	[illegible]
8	कल्याणसिंह	[illegible]सिंह	
9	धनसिंह	[illegible]सिंह	धनसिंह
10	नन्दनसिंह	मोहनसिंह	[illegible]
11	खुशालसिंह	[illegible]सिंह	[illegible]
12	मोहनराम	हीराराम	मोहनराम
13	नन्दनसिंह	पदमसिंह	नन्दनसिंह
15	देवेन्द्रसिंह	[illegible]सिंह	[illegible]
16	कुवरसिंह [illegible]		[illegible]
17	दानसिंह रावत – [illegible]सिंह		दानसिंह
18	[illegible]		[illegible]

[signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चुपकी
[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चुरखी-कैलानी-मल्नौली मोटरमार्ग

<u>वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोली -वन पंचायत गांव
तहसील ...भिकियासैंण... जिला ...अल्मोड़ा...
<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद ...अल्मोड़ा... के अन्तर्गत ...उपरोक्त... परियोजना के निर्माण हेतु (...—... है0 आरक्षित वन भूमि 0.207 है0 सिविल सोयम भूमि 0.837 है0 वन पंचायत भूमि ...—... है0) अर्थात कुल 1.044 है0 वन भूमि का ...लो0नि0वि0... विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरमोली -वन पंचायत ...द्वारा दिनांक 1-3-015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार ~~अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में [illegible] / कृषि कार्य नहीं है।~~ उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोली वन पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष
[illegible]

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
[illegible]

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
H.S.Rawat
प्रधान
ग्राम पंचायत-[illegible]
वि०ख०स्याल्दे-अल्मोड़ा।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रारूप – 23.1

दिनांक 1-3-015 को ग्राम सभा की [illegible] बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुरमोली - तल [illegible] पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह	देव सिंह
2.	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
3.	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
4.	रामपाल सिंह	[illegible]

ग्राम प्रधान / सरपंच

सचिव
ग्राम पंचायत सुरमोली, [illegible]
वि० खण्ड स्याल्दे
जिला अल्मोड़ा

H.S. Rawat
प्रधान 7/3/16
ग्राम पंचायत-सुरमोली
वि०ख०स्याल्दे-अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

सुरमोली
(4993)
स्याल्दे

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद-अल्मोड़ा में धुनी केलानी-पसोली मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोली
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (............ है0 आरक्षित वन भूमि [illegible] है0 सिविल सोयम भूमि 0.207 है0 वन पंचायत भूमि 0.837 है0) अर्थात कुल 1.044 है0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरमोली द्वारा दिनांक 1-3-11 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

सरपंच
वन पंचायत सुरमोली
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत-सुर
वि0ख0स्याल्दे-अल्मोड़ा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सुरमोली
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रारूप –23-1

दिनांक 1-03-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ....सुरमोली............

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	[illegible] सिंह रावत	[signature]
2-	शैलेन्द्र सिंह	[signature]
3-	गोपाल सिंह [illegible]	गोपाल सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

[signature]
सरपंच
वन पंचायत सुरमोली
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

H.S. Rawat
प्रधान 2-9-16
ग्राम पंचायत-सुरमोली
वि०ख०स्याल्दे-अल्मोड़ा।

[signature]
छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में धुग्ती कैलानी–मसमोली मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चक केलानी

तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—— x हे0 आरक्षित वन भूमि —x— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.287 हे0 वन पंचायत भूमि 0.637 हे0) अर्थात कुल 1.224 हे0 वन भूमि का [illegible] विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चक केलानी द्वारा दिनांक 1–3–08 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार ~~अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं।~~ उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चक केलानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चकेलानी
वि0 ख0–स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा

सरपंच,
वन पंचायत चककेलानी,
पो० ऑ० – धुग्तीनाग,
तहसील–भिकियासैण (अल्मोड़ा)

प्रधान ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चककेलानी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रारूप –23.1

दिनांक 1-3-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम- केलानी ग्राम पंचायत ...चक केलानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नवीन चन्द्र / मोहन चन्द्र	[signature]
	दिनेश चन्द्र / बचीराम	[signature]
	केशवदत्त / तुलाराम हौ०	केशव दत्त
	दिनेशचन्द्र / टीकाराम	Dinesh [signature]
	कैलाश चन्द्र / नन्दकिशोर	[signature]
	गोपाल दत्त / बचीराम	गोपाल दत्त
	रामसिंह / हयात सिंह	[signature]

[signature]
सचिव,
ग्राम पंचायत चककेलानी,
पो० ऑ० – [illegible],
[illegible] (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
[signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चककेलानी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

[signature]
छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, [illegible]
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, [illegible]

उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] मार्ग ——— (——हे0 आरक्षित वन भूमि [illegible] हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि [illegible] हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल [illegible] हे0 वन भूमि) का [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील [illegible]) की दिनांक 1-3-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]

1— श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] अध्यक्ष
2— श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य
3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य / सचिव
4— श्री ——— बी0डी0सी0 क्षेत्र ——— सदस्य

[illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

[illegible] परियोजना हेतु [illegible] हे0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

यथाप्राप्त सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग ——परियोजना के निर्माण हेतु 1.044 है0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा
उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद -अल्मोड़ा

तहसीलदार स्याल्दे
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा
उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद -अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के छिमटी कौवाली मल्लाकोटी मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 .... के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित छिमटी कौवाली मल्लाकोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

03/11/3/15

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Prasad Pitra/Arvind

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Almora

No :......................................

Dated:...............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the schedaled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.044.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development PWD Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.of...Shyauli...Kaileni Manaal Motor Road...

(Purpose for diversion of forest land) in...Almora...district falls within jurisdiction of.Kaileni..village(s) in..Syaldey...Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.1.044...Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

Tehsildar

S.D.M.
उप जिलाधिकारी

03.03.15
जिला अधिकारी
D.M.
अल्मोड़ा
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत